12

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 50 / 2021
पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी–4, मान नगर, झुंझुनूं, तहसील व जिला झंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.04.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 50 / 2021 पर दिनांक 23.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1044–45 दिनांक 23.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई / 2021 / 211 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी–4, मान नगर, झुंझुनूं, द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर झुंझुनूं शहर की अवैध कॉलोनियों बाबत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक सूचना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई / 2021 / 207 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. वकील अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2021 / 211 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी–4, मान नगर, झुंझुनूं, द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर झुंझुनूं शहर की अवैध कॉलोनियों बाबत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक सूचना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई / 2021 / 207 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:45 IST
Reason: SelfAttested

15/4/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं